न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 121/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00130)

1. नरसी पुत्र श्रीया
2. जगदीश पुत्र रघुनाथ
3. भरतलाल पुत्र रघुनाथ
4. प्रभातीलाल पुत्र रघुनाथ
5. हरबाई बेवा रघुनाथ
6. रामस्वरूप पुत्र प्रभू
7. हंसराज पुत्र प्रभू
8. राधेश्याम पुत्र प्रभू
9. छोटेलाल पुत्र प्रभू
10. राजेन्द्र पुत्र प्रभू
11. भोती बेवा प्रभू
12. रामनिवास पुत्र मेदा
13. रामनारायण नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भूली देवी
14. मीठालाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता भूली देवी
15. भूली बेवा मेदा
16. गोरधन पुत्र नानगा

समस्त जाति मीणा, निवासी महसरा खुर्द, तहसील दौसा, जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनामं

1. रामसहाय पुत्र नैहन्या
2. रामकरण पुत्र गोपीराम
3. कमलेश पुत्र गोपीलाल
4. मुकेश पुत्र गोपीलाल
5. हीरा पत्नि गोपी
6. गंगासहाय पुत्र छोटू

समस्त जाति मीणा, निवासी महसरा खुर्द, तहसील दौसा, जिला दौसा।

7. आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उपखण्ड अधिकारी दौसा।
8. तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा स्थगन निर्णय दिनांक 17.05.2011 मु0नं0 29/11 उनवानी रामसहाय बनाम नरसी प्रार्थना पत्र स्थगन

उपस्थित :–

1. श्री उमेश गौड़, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री हुकम सिंह अवाना, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा0 06 अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक –28.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निर्णय दिनांक 17.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र

अस्थायी निषेधाज्ञा बउनवानी रामसहाय आदि बनाम नरसी आदि मु0नं0 29/11 का पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 का प्रार्थना–पत्र बाबत् स्टे एवं अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये गये कि आराजी खसरा नम्बर 786 हाल ख0नं0 738 लगा0 742 वाके ग्राम महशरा खुर्द, तहसील दौसा, जिला दौसा में स्थित भूमि पर दोनों पक्षों की मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करें तथा राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2011 पारित किये गये हैं।

3. जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 17.05.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट नरसी पुत्र श्रीया वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2011 को पारित प्रश्नगत आदेश विधि प्रक्रिया, नियम तथ्य एवम् न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत स्वैच्छिक रूप से पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का दुर्पयोग किया हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का उपयोग कर दिनांक 10.05.2011 को पक्षकारगण की तलबी एवम् अभिलेख मंगवाने के आदेश पारित करने के बाद अपने आदेश की अनुपालना में अपीलान्ट्स को तलब किये बिना एवम् अभिलेख मंगवाये बिना दिनांक 17.05.2011 को बिना किसी प्रार्थना पत्र व आदेश स्थगन के आदेश पारित कर घोर प्रक्रियात्मक एवम् विधिक त्रुटि कारित की हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय अ. नि. 14 (4) आ. नि. भूमि आवंटन के वैधावैध होने पर विचार करने को सक्षम है, किन्तु 28 वर्षों बाद मनमाने तौर पर स्थगन आदेश प्रचलित करने को अधिकृत नहीं हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राज. उच्च न्यायलय एवम् राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक निर्णयों में अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये है, कि भू–आवंटन के बीस वर्ष बाद आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय उक्त सिद्धान्त की अवहेलना कर मनमाने रूप से अपीलान्ट्स को सुने बिना प्रश्नगत आदेश पारित कर विधिक एवम् न्यायिक त्रुटि कारित की हैं। दिनांक 10.05.2011 को प्रकरण दर्ज करते समय प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश शामिल था, जो प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश दिनांक पर सुनवाई क्यों नहीं की गई, प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 17.05.2011 को यदि पेश हुआ तो मूल प्रार्थना पत्र आ. नि. 14 (4) को तलब किये बिना व बिना अप्रार्थीगण को तलब किये बिना एकपक्षीय सुनवाई क्यों की गई ऐसे आदेश न्यायिक प्रक्रिया का उपहास है, एवम् न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह है। न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर मात्र प्रत्यर्थीगण के मौखिक कथनों पर विश्वास कर प्रश्नगत आदेश पारित कर न्यायोचित आदेश पारित नहीं किया हैं। प्रश्नगत आदेश के आधार पर प्रत्यर्थीगण अपीलान्ट्स को बलपूर्वक निष्कासित करने को प्रयत्नशील हैं, जिसके कारण अपीलान्ट्स के अधिकारों का हनन होने व अपूर्णणीय क्षति होने की प्रबल संभावना उत्पन्न हो गई है, तथा बहुविवाद उत्पन्न हुआ हैं। अपीलान्ट्स को बिना सुने प्रश्नगत आदेश पारित कर न्यायालय की गरिमा के विरूद्ध कार्य कर आदेश पारित किया हैं, जो न्याय सम्मत नहीं है, निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2011 को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 07 व 08 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिला कलेक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2011 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 29/2011 उनवानी रामसहाय बनाम नरसी वगैरा प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2011 के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्टस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2011 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 77 में प्रावधान है कि अन्तरिम आदेश के विरूद्ध लम्बित अपील धारा 75 के अन्तर्गत या धारा 76 के अन्तर्गत हो तो उनके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है। ऐसे अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के तहत राजस्व मण्डल/बोर्ड को प्राप्त है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के स्थगन आदेश के विरूद्ध पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नहीं होने से परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर